HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12213/2026
CNR: RJHC020746932026 | URN: CRLMB / 22476U / 2026

Tarif @ Bhura S/o Isab, R/o Banban, Tehsil Tapukada, Police Station Bhiwadi Phase Trithia, District Khairthal-Tijara, Rajasthan. (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manjeet Kumar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

18/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना–**भिवाडी फेज–तृतीय** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**86/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत पक्ष के साथ मारपीट कर आहत आमिर के प्राणघातक चोटें पहुंचायीं। अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **तारीफ उर्फ भूरा पुत्र ईसब** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

60/Mittal